समक्ष में माननीय म0प्र0 राजस्व मण्डल कैम्प, भोपाल

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35(3) म.प्र. भू राजस्व संहिता–1959,

Regn 179 - PBM/14

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर,

पुराना सचिवालय, भोपाल ——————अपीलार्थी

विरूद्ध

1. किशनलाल आ. वल्लभ दास अग्रवाल, (मृत)
2. रामबाबू आ. किशनलाल अग्रवाल
3. मोहनलाल आ. किशनलाल अग्रवाल
4. सोहनलाल आ. किशनलाल अग्रवाल

क्र. 2 से 4 निवासीगण म.नं. 39, हराभरा बाजार, लखेरापुरा, भोपाल

5. मिसवाह अली आ. अहमद अली
   आयु वयस्क निवासी–आम वाली
   मस्जिद के पास शाहजहांनाबाद, भोपाल
6. हरनाथ पुत्र श्री भवानी सिलावट,
7. रामदयाल पुत्र हरनाथ सिलावट
8. लीलाकिशन पुत्र हरनाथ सिलावट
9. प्यारेलाल पुत्र काशीराम कुमार

क्र. 6 से 9 निवासीगीण ग्राम पीपलनेर,
तह. हुजूर, भोपाल म.प्र.

——————प्रति अपीलार्थी

विषयः– अपील प्रकरण क्रमांक–ए / 1344–पी.बी. / 08 को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने बावत्।

मान्यवर,

निवेदन है कि माननीय के न्यायालय में प्रचलित अपील प्रकरण क्रमांक. –ए / 1344–पी.बी. / 08 में मध्यप्रदेश शासन अपीलार्थी है तथा मैं उक्त प्रकरण में प्रभारी अधिकारी हूँ।

2. यह कि आज दिनांक 26/12/2013 को उक्त प्रकरण सुनवाई हेतु नियत था। जिसमें मैं उपस्थित हुआ हूँ किन्तु मेरी उपस्थिति के पूर्व ही माननीय के द्वारा प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है।

यह कि मैं माननीय न्यायालय में समय 01.15 बजें उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि चुनाव आयोग की एक महत्वपूर्ण वीडियों कान्फ्रेन्स थी जिसमें प्रार्थी उपस्थित था। उक्त कारण से प्रार्थी विलम्ब से उपस्थित हुआ है। न्याय हित में कृपया विलम्ब की उपस्थिति को क्षमा करने की कृपा करें।

4. यह कि प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की भूमि निहित है तथा शासन का हित है जिसमें शासन का पक्ष सुना जाना न्याय हित में आवश्यक है जिसका पूर्ण अवसर शासन को प्राप्त होना चाहिये अतः करबद्ध प्रार्थना है कि म.प्र. शासन अपीलार्थी को अपील प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने की महती कृपा करें।

26/12/13

प्रभारी अधिकारी

Restn - 179-PBR/14 आदेश

9.11.2017	आवेदक की ओर से श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक उपस्थित। तर्क सुने गये। अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है। उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष

Amit Shrivastava 9-11-17

Order 22 R-3 cpc